

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:- ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या - 60/2020

श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री द्वारकालाल जाति गुर्जर निवासी  
सनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, राजस्थान 0

---प्रार्थीया

## बनाम

1. नेशनल ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड जरिये महाप्रबंधक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए-504 इन्दिरा विहार कोटा, राज0
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा, राज0

---प्रतिपक्षीगण



उस्थिति


1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, प्रतिपक्षीगण सं0-1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(V) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 72(2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

## निर्णय


दिनांक- 29.01.2020

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट 1956 एवं धारा 73(2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (दिल्ली - बडोदरा एक्सप्रेसवे) परियोजना के लिए अवाप्त भूमि ग्राम लसूडिया के ख0नं0 491 /453 रकबा 0.2327 को औद्योगिक श्रेणी में माना जाकर अवार्ड राशि 22,44,626/- औद्योगिक दर से कमांक/236 दिनांक 25.6.2019 से जारी किया गया था। किन्तु के जारी अवार्ड एवं आदेश कमांक भू/अवा./2019/414 दिनांक 6.11.2019 से आदेश पारित किया गया कि-"पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अन्य तथ्यों का मनन व अवलोकन किया जाकर गुणावगुण के आधार पर उक्त संपरिवर्तन 5.6.2018 के पश्चात होने से सद्भावी संपरिवर्तन नहीं होने के कारण राजहित में औद्योगिक अवार्ड राशि-

  
जिला कलेक्टर  
कोटा


67,34,649/- पर रोक लगाते हुए उक्त भूमि को कृषि भूमि मानते हुए आबादी /रोड के पास सिंचित दर से मुआवजा राशि- 14,26,989/- का निर्धारण किया गया, जिसमें 14,26,989/- राशि ही भुगतान योग्य है । शेष 5307660/- राजकोष में ही रहेगी । हिताधिकारी सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र है ।”

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3G(V) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 72(2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306(अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को राजमार्ग संख्या 148-एन के कि.मी. 346.5 से कि.मी. 450.464 तक के निर्माण के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया ।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य की तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के कि.मी. 346.5 से कि.मी. 450.646 तक (दिल्ली-बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (8 लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ए) की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 2306(अ) दिनांक 05.06.2018 को प्रकाशित की गई। तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-एन के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 123.1976 है० भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना में अधिसूचित की गयी, जिसमें क्षेत्रफल 104.8697 है० निजी भूमि तथा क्षेत्रफल 18.3282 है० सरकारी भूमि सम्मिलित हैं। स्थलीय माप व राजस्व अभिलेखों के अनुसार भी उक्त क्षेत्रफल ही सडक समरेखण में अर्जित होना पाया गया। इस प्रकार तहसील रामगंजमण्डी की कुल अर्जित निजी भूमि 104.8697 है० का अवार्ड अधिनियम घोषित किया गया था। इसी के चलते प्रार्थीया की आराजी ख०नं० 491/453 की रकबा 0.2327 औद्योगिक श्रेणी में मानी जाकर अवार्ड राशि 22,44,626/- रुपये औद्योगिक दर से क्रमांक 236 दिनांक 25.06.2019 को प्रस्तावित किया गया था। प्रार्थीया द्वारा अपनी खाते एवं कब्जे की आराजी का सम्परिवर्तन दिनांक 06.08.2019 को हो चुका हैं और उसी के अनुसार प्रार्थीया की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ मानते हुए अवार्ड राशि जारी

  
जिषा कलेक्टर  
कोटा


की गई हैं। राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में प्रार्थीया की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज चली आ रही हैं।

4. प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा धारा 3(a) दिनांक 05.06.2018 को प्रकाशित करवाई गई थी उसके पश्चात दिनांक 06.09.2018 को धारा 3(A) को प्रकाशित करवाई गई तत्पश्चात 3D का प्रकाशन दिनांक 06.02.2019 को करवाया गया। इस प्रकार धारा 3(A) दिनांक 06.09.2018 के प्रकाशन के पूर्व दिनांक 19.07.2018 को प्रार्थीया की भूमि का सम्परिवर्तन होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुकी थी। धारा 3(A) प्रकाशित होने से पूर्व प्रार्थीया की भूमि किसी प्रकार से अवाप्त नहीं की गई थी। प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त सम्परिवर्तन दिनांक 05.06.2018 के पश्चात होने से सदभाविक सम्परिवर्तन नहीं कोने के कारण प्रार्थीया को औद्योगिक अवार्ड राशि 22,44,626/- रुपये पर रोक लगाते हुए प्रार्थीया की उक्त भूमि का आवादी/रोड के पास सिंचित दर से मुआवजा राशि 4,71,109/- रुपये का निर्धारण किया गया है और इसी राशि को प्रार्थीया को भुगतान योग्य माना गया है। जबकि राजस्व रिकार्ड एवं सम्परिवर्तन आदेश के अनुसार प्रार्थीया की भूमि अवाप्ति किये जाने से पूर्व ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज थी। इसलिये प्रार्थीया की जो राशि मॉनरीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम की गई है, वह वैधानिक रूप से सही नहीं है। इसलिये पारित किया गया निर्णय दिनांक 06.11.2019 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 को अपास्त करते हुए प्रार्थीया को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवार्ड राशि 22,44,626/- रुपये प्रदान करने की कृपा करे।
5. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
6. वकील अपीलांट द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा धारा 3(a) दिनांक 05.06.2018 को प्रकाशित करवाई गई थी उसके पश्चात दिनांक 06.09.2018 को धारा 3(A) को प्रकाशित करवाई गई तत्पश्चात 3D का प्रकाशन दिनांक 06.02.2019 को करवाया गया। इस प्रकार धारा 3(A) दिनांक 06.09.2018 के प्रकाशन के पूर्व दिनांक 19.07.2018 को प्रार्थीया की भूमि का सम्परिवर्तन होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुकी थी। धारा 3(A) प्रकाशित होने से पूर्व प्रार्थीया की भूमि किसी प्रकार से अवाप्त नहीं की गई थी। प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त सम्परिवर्तन दिनांक 05.06.2018 के पश्चात होने से सदभाविक सम्परिवर्तन नहीं कोने के कारण प्रार्थीया

  
जिवा कलेक्टर  
कोटा

को औद्योगिक अवार्ड राशि 22,44,626/- रूपये पर रोक लगाते हुए प्रार्थीया की उक्त भूमि का आबादी/रोड के पास सिंचित दर से मुआवजा राशि 4,71,109/- रूपये का निर्धारण किया गया है और इसी राशि को प्रार्थीया को भुगतान योग्य माना गया है। जबकि राजस्व रिकार्ड एवं सम्परिवर्तन आदेश के अनुसार प्रार्थीया की भूमि अवाप्ति किये जाने से पूर्व ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज थी। इसलिये प्रार्थीया की जो राशि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम की गई है, वह वैधानिक रूप से सही नहीं है। इसलिये पारित किया गया निर्णय दिनांक 06.11.2019 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 को अपास्त करते हुए प्रार्थीया को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवार्ड राशि 22,44,626/- रूपये प्रदान करने की कृपा करे।


7. वकील प्रतिपक्षी क्रम 1 ने अपनी बहस एवं जवाब में कथन किया कि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 3क की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 06.09.2018 को प्रकाशित की गई, जिसमें प्रार्थी की भूमि मूल खसरा संख्या 453/374 की प्रकृति राजस्व अभिलेखों के आधार पर माल द्वितीय प्रकाशित किया जाना मात्र स्वीकार है। उक्त भूमि का संपरिवर्तन दिनांक 19.07.2018 को 3क की अधिसूचना दिनांक 06.09.2018 से पूर्व होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिनिर्णय दिनांक 25.6.2019 से प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 491/453 रकबा 0.2327 हे0 औद्योगिक श्रेणी में माना जाकर अवार्ड राशि 22,44,626/- जारी की गई थी किन्तु प्रार्थीया की भूमि का संपरिवर्तन दिनांक 5.6.2018 के पश्चात माना जाकर अवार्ड संशोधित किया जाकर आबादी/रोड के पास सिंचित दर से 4,71,409/- मुआवजा तय किया गया। उक्त परियोजना के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 5.6.2018, 3a का अवलोकन किया गया, उक्त अधिसूचना में एनएच 148 एन के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को नियुक्त किया गया था जिसमें जिन गांवों की भूमि अवाप्त की जानी थी उन गांवों का विवरण अंकित है, किन्तु अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण अंकित नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 6.9.2018 को 3A (1) की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण अंकित है। प्रार्थीया की भूमि का संपरिवर्तन 19.7.2018 को हो चुका था। हमने राष्ट्रीय

  
जिजा कपोस्टर  
ओवा

राजमार्ग अधिनियम (संशोधित) 1997 की धारा 3G-7(a) का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि- the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A अर्थात् भूमि का मूल्यांकन उक्त अधिनियम की धारा 3A के अनुसार ही किया जाना है न की 3a के अनुसार । परिणामस्वरूप हम वकील अपीलांट के कानूनी तर्कों से सहमत है कि दिनांक 5.6.2018 3a की जारी अधिसूचना में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ऐसी स्थिति में भूमि का मूल्यांकन दिनांक 6.9.2018 को जारी अधिसूचना 3A के अनुसार होना चाहिए जिसमें अवाप्त होने वाली भूमि का उल्लेख अंकित है ।

9. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी ( भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा जारी आदेश क्रमांक/414 दिनांक 6.11.2019 निरस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उपर अंकित हमारे ओर्ब्जवेशन अनुसार दिनांक 6.9.2018 को जारी अधिसूचना 3A के अनुसार उस समय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने से औद्योगिक की दर से अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें ।
10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



  
(ओम कसेरा)  
जिला कलेक्टर  
कोटा